



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 6, 2009/कार्तिक 15, 1931

No. 634]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 6, 2009/KARTIKA 15, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2009

सं. 25/2009—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 798(अ).—चूँकि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के बारे में आमतौर पर प्रचलित एक प्रथा के अनुसार 1 सितम्बर, 1987 और 28 फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान कथित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर सूची अधिनियम, 1985 (1985 का 5) की अनुसूची के अध्याय 69 तथा शीर्षक संख्या 94.01, 94.02 और 94.03 के अन्तर्गत आने वाले माल पर (जिसे इसके बाद कथित माल कहा गया है) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जा रहा था;

2. अतः, अब कथित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उपर्युक्त प्रथा को छोड़कर, कथित मालों पर कथित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो कथित अवधि में कथित प्रथा के अनुसार नहीं वसूली गई थी, उसे अदा करने की जरूरत नहीं होगी :

बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, सामंशः :—

- (क) कथित माल ग्रामोद्योग के वास्तविक उत्पाद हों;
- (ख) कथित माल का विपणन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के तहत स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा या उसकी सहायता से किया हो; और
- (ग) कथित माल का उत्पादक कथित आयोग से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि—
 - (i) ऐसे माल ग्रामोद्योग के वास्तविक उत्पाद हैं; और
 - (ii) ऐसे माल का विपणन कथित आयोग द्वारा या उसकी सहायता से किया गया है :

आगे शर्त यह है कि इस अधिसूचना के तहत लाभ तब तक देय नहीं होगा, जब तक इस अधिसूचना के निबंधनों के तहत लाभ का दावा करने वाली इकाई कथित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर ली गई निविष्टि साख, यदि कोई हो, को वापस नहीं करती जिन पर उपर्युक्त अवधि के दौरान कथित प्रथा के अनुसार उत्पाद शुल्क नहीं लिया गया था।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य से "ग्रामोद्योग" का वही अर्थ होगा, जो उसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 2 के खण्ड (ज) के तहत दिया गया है।

[फा. सं. 13/01/1991-सी एक्स-1]

मदन मोहन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2009

No. 25/2009-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 798(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the duty of excise on goods falling under Chapter 69 and heading numbers 94.01, 94.02 and 94.03 of Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1985) (hereinafter referred to as said goods) was not being levied under section 3 of the said Central Excise Act, during the period commencing on the 1st day of September, 1987 and ending with 28th day of February, 1989;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11C of the said Central Excise Act, the Central Government hereby directs that the whole of the duty of excise payable under Section 3 of the said Central Excise Act on said goods but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of said goods on which the said duty of excise were not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice :

Provided that the following conditions are fulfilled, namely :—

- (a) said goods are genuine products of a village industry;
- (b) said goods have been marketed by or with the assistance of the Khadi and Village Industries Commission established under the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956); and
- (c) the manufacturer of said goods produces a certificate from the said Commission to the effect that—
 - (i) such goods are the genuine products of a village industry; and
 - (ii) such goods have been marketed by or with the assistance of the said Commission :

Provided further that the benefit under this notification shall not be admissible unless the unit claiming benefits in terms of this notification reverses the input credit, if any, taken in respect of inputs used in the manufacture of said goods on which the duty of excise was not levied during the aforesaid period in accordance with the said practice.

Explanation : For the purpose of this notification, the expression "village industry" shall have the same meaning as assigned to it in clause (h) of section 2 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956).

[F.No. 13/01/1991-CX-1]

MADAN MOHAN, Under Secy.